संख्या 131/2016/2150/41-2016-92 यो0/15

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर 2016

विषयः- जनपद आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग की 11.38 एकड भूमि में से 5.9 एकड भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1340/6-1-1(512)/2016, दिनांक 15-12-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग की 11.38 एकड भूमि में से 5.9 एकड भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 14189.73 लाख (रूपये एक सौ इकतालीस करोड नवासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 15.00 करोड (रूपये पन्द्रह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 25/2016/307/41-2016-92 यो0/15, दिनांक 09.02.2016 द्वारा प्रदान की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश सं0-95/2016/1264/41-2016-92 यो0/15, दिनांक 16.08.2016 द्वारा रू0 10.00 करोड (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में मुगल म्यूजियम के अवशेष निर्माण कार्य हेतु वितत्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त परियोजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में व्यवस्थित धनराशि रू0 50.00 करोड (रूपये पचास करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनरीशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त कर परीक्षण कराते हुए शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-117/2015/1892/41-2015-92 यो0/15, दिनांक 11.08.2015 एवं शासनादेश सं0 25/2016/307/41-2016-92 यो0/15, दिनांक 09.02.2016 में उल्लिखित दिशानिर्देशों, प्राविधानों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनरशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-29-आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव

संख्या-131/2016/2150(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त/जिलाधिकारी, आगरा ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4
7- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
8- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in